

425 No- 4141

(5)

①

मध्यप्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 447/2011/लो.से.प्र./61

भापाल दिनांक 14/7/2011

प्रति,
सनस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय:- मध्यप्रदेश के लोक सेवा के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2010 के तहत चिह्नित सेवाओं के प्रदान हेतु जिला स्तर पर जिला प्रबंधक (लोक सेवा) एवं कार्यालय सहायक का पद निर्भर एवं नियुक्ति।

10/07

1. मध्यप्रदेश के लोक सेवा के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2010 के तहत अधिसूचित सेवाओं को प्रदान करने की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं नियमित अनुभ्रयण में जिला कलेक्टर की सहायता हेतु प्रत्येक जिले में निम्नलिखित अनुसार एकल पद स्वीकृत किए गए हैं।

1. जिला प्रबंधक (लोक सेवा)	एक पद
2. कार्यालय सहायक	एक पद
2. इन एकल पदों पर सविदा आधार पर कलेक्टर द्वारा नियुक्ति की जायेगी।
सुविधा की दृष्टि से इन पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला कलेक्टर के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन का प्रारूप परिशिष्ट-एक पर संलग्न है। विज्ञापन का प्रकाशन 15 जुलाई के पूर्व समाचार पत्रों में हो जायेगा।
3. इच्छुक अभ्यर्थियों को सविदा नियुक्ति के लिए अपना आवेदन संबंधित जिले में सीधे प्रस्तुत करना होगा। विभाग में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4. जिले में प्रचार प्रसार के लिए संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार प्रेस विज्ञापित जारी करें। go ds.
5. नियुक्ति हेतु आवेदन का प्रारूप, नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा शर्तें, अनुबंध का प्रारूप इत्यादि का विवरण वेबसाइट www.sushasanmp.in पर उपलब्ध रहेगा।
6. जिला प्रबंधक (लोक सेवा) एवं कार्यालय सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन का सेवा की शर्तें, चयन प्रक्रिया, शर्तें आदि सुलभ तर्जम हेतु संलग्न है। कृपया इन्हें कार्यालय, मैनोटेस बोर्ड पर धरया करें।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
राजस्व विभाग (कक्ष 4 ए)

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय

कमलेश्वर का

420 NO-414

-: आदेश :-

मोपाल, दिनांक

क्रमांक एफ 3-24/सात/शा-5/2011 राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के प्रभावी प्रशासन के लिए प्रत्येक जिला कलेक्टर कार्यालय में सविदा पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित अस्थायी पद निर्मित किये जाते हैं :-

क्रमांक	पद	पद संख्या	सविदा वेतन प्रतिमाह
1	जिला प्रबंधक (लोक सेवा)	50	25000/-
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर	50	8500/-

- इन पर भर्ती सविदा आधार पर जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा की जायेगी।
- इन पदों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर जाने वाला व्यय भार माग संख्या (13) मुख्य लेखा शीर्ष 2053 जिला प्रशासन - उप मुख्य शीर्ष - 093 जिला स्थापना - योजना (1509) जिला स्थापना - 11 वेतन भत्ते - 025 - सविदा कर्मचारियों का पास्त्रिमिक आयोजन के तहत मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।
- इन पदों पर सविदा भर्ती प्रक्रिया, सेवा शर्त अनुबंध इत्यादि के संबंध में निर्देश लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कार्यालय से
तथा आदेशानुसार

sd/

(स) उलको)

उ.धर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मोपाल, दिनांक 15/9/11

क्रमांक एफ 3-24/सात/शा-5/2011

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश, मोपाल।
 2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग,
 3. प्रमुख राजस्व आयुक्त, MOPD, मंत्रालय, मोपाल।
 4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मोपाल।
 5. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
 6. समस्त संभाग आयुक्त, मध्य प्रदेश।
 7. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
 8. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
राजस्व विभाग (कक्ष 4)

ml
15/9/11
उ.धर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय

243

कमिश्नरि
229 No 4141

क्रमांक एफ 6-6/2019/लोसेप्र/61
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/6/2019

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग/उर्जा/श्रम/राजस्व/परिवहन/वन/गृह/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण/नगरीय
विकास एवं पर्यावरण/आदिम जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण/महिला एवं
बाल विकास/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/किसान कल्याण एवं कृषि विकास/छात्र्य नागरिक
आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण /लोक सेवा प्रबंधन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।

विषय:- संविदा पर नियुक्त प्रबंधक एवं कार्यालय सहायक (लोक सेवा) के वेतन पुनरीक्षण संबंधी।

संदर्भ:- इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 447/2011/लोसेप्र/61, दिनांक 14/07/2011 तथा विभागीय पत्र
क्रमांक 661/61/लोसेप्र/2011, दिनांक 3/10/2011।

प्रदेश में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत अधिसूचित सेवाओं व
प्रभावी कार्यवाही एवं नियमित अनुश्रवण के लिए विभागों की सहायता हेतु 01-01 पद एवं जिला स्त
पर कलेक्टर की सहायता हेतु 01-01 पद प्रबंधक (एक मुश्त वेतन रुपये 25000/- मासिक) ए
कार्यालय सहायक (एक मुश्त वेतन रुपये 8500/- मासिक) की संविदा नियुक्ति शर्त की कंडिका 1।
अनुसार प्रत्येक वर्ष पुनःसंविदा नियुक्ति की स्थिति में गत नियुक्ति के दौरान प्राप्त वेतन में
प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

आदेशानुसार कृपया लेख है कि सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी-5
2/2018/1/3, दिनांक 5 जून, 2018 के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग की सहमति लिये बगैर उक्त पदों का
कोई वेतन पुनरीक्षण न किया जावे।

कृपया यदि किसी विभाग द्वारा उनके वेतन में पुनरीक्षण किया है तो तत्संबंधी जानकारी
से इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
राजस्व विभाग (कक्ष 4 ए)

(परमेश्वर कुमार जेठवा)

पू०क्रमांक एफ 6-6/2019/लोसेप्र/61

प्रतिलिपि:-

- 1- समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश,
- 2- कार्यपालक संचालक, म०प्र० राज्य लोक सेवा आयोग
की ओर सूचनाएं एवं आवेदनक कार्यवाही हेतु अवैतना